

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव

Prof. Manish R. Joshi
Secretary



सत्यमेव जयते



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

F. No. 7-3/2012(AMPC)

19 चैत्र, 1948/ 09th April, 2026

सार्वजनिक सूचना

It is hereby brought to the notice of students, parents and the general Public that degree can be awarded only by Universities/Institution which are established under a State Act, or Central Act or Provincial Act or institution, empowered to confer or grant degrees as per UGC Act, 1956.

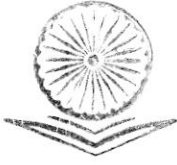
However, it has come to the notice of UGC that a number of institutions are offering degrees in contrary to the provision of the UGC Act. Degrees awarded by such universities/institutions shall neither be recognized nor valid for higher education and employment purposes.

Hence, all concerned are requested to check the UGC website: www.ugc.ac.in for information about recognized universities/institutions as well as fake institutions before taking admission in any institution for higher education. Further, if any university/institution is offering academic programmes in contravention of the UGC Act, the same may also be brought to the notice of UGC via email to ugcampc@gmail.com so that appropriate action can be taken against such institutions.

For more information, please see the following link:

https://drive.google.com/drive/folders/13_lbOT7cyPPF6p4KLUqST2VE8sc8nbAp?usp=drive_link

(मनिष जोशी)



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव

Prof. Manish R. Joshi
Secretary



सत्यमेव जयते



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

मिसिल सं० 7-3/2012(ए.एम.पी.सी.)

19 चैत्र, 1948 / 9 अप्रैल 2026

सार्वजनिक सूचना

विद्यार्थियों, अभिभावकों और आम जनता को अवगत कराया जाता है कि डिग्री केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा सकती है जो राज्य अधिनियम, या केंद्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित हैं या ऐसी संस्था जो यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुसार डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत है।

हालांकि, यूजीसी के ध्यान में आया है कि कई संस्थान यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत डिग्री प्रदान कर रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई डिग्री न तो मान्यता प्राप्त होगी और न ही उच्च शिक्षा और रोजगार के उद्देश्यों के लिए वैध होगी।

इसलिए, सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे उच्च शिक्षा के लिए किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के साथ-साथ फर्जी संस्थानों के बारे में जानकारी के लिए यूजीसी की वेबसाइट: www.ugc.ac.in देखें।

इसके अलावा, यदि कोई विश्वविद्यालय/संस्था यूजीसी अधिनियम के उल्लंघन में शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान कर रहा है, तो उसे ईमेल: ugcampc@gmail.com के माध्यम से यूजीसी के ध्यान में लायें ताकि ऐसे संस्थानों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गए लिंक को देखें :

https://drive.google.com/drive/folders/13_IbOT7cyPPF6p4KLUqST2VE8sc8nbAp?usp=drive_link

(मनिष जोशी)



आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव

Prof. Manish R. Joshi
Secretary



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

F. No. 7-3/2012(AMPC)

27 फाल्गुन 1946/18th March, 2025

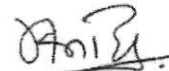
18 MAR 2025

सार्वजनिक सूचना

It is hereby brought to the notice of students, parents and the general Public that degree can be awarded only by Universities/Institution which are established under a State Act, or Central Act or Provincial Act or institution, empowered to confer or grant degrees as per UGC Act, 1956.

However, it has come to the notice of UGC that a number of institutions are offering degrees in contrary to the provision of the UGC Act. Degrees awarded by such universities/institutions shall neither be recognized nor valid for higher education and employment purposes.

Hence, all concerned are requested to check the UGC website: www.ugc.ac.in for information about recognized universities/institutions as well as fake institutions before taking admission in any institution for higher education. Further, if any university/institution is offering academic programmes in contravention of the UGC Act, the same may also be brought to the notice of UGC via email to ugcampc@gmail.com so that appropriate action can be taken against such institutions.


(मनिष जोशी)



आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव

Prof. Manish R. Joshi
Secretary



सत्यमेव जयते

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

मिसिल सं० 7-3/2012(ए.एम.पी.सी.)

27 फाल्गुन 1946/18th March, 2025

18 MAR 2025

सार्वजनिक सूचना

विद्यार्थियों, अभिभावकों और आम जनता को अवगत कराया जाता है कि डिग्री केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा सकती है जो राज्य अधिनियम, या केंद्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित हैं या ऐसी संस्था जो यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुसार डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत है।

यूजीसी के संज्ञान में आया है कि कई संस्थान यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत डिग्री प्रदान कर रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई डिग्री न तो मान्यता प्राप्त होगी और न ही उच्च शिक्षा और रोजगार के उद्देश्यों के लिए वैध होगी।

इसलिए, सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे उच्च शिक्षा के लिए किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के साथ-साथ फर्जी संस्थानों के बारे में जानकारी के लिए यूजीसी की वेबसाइट: www.ugc.ac.in देखें। इसके अलावा, यदि कोई विश्वविद्यालय/संस्था यूजीसी अधिनियम के उल्लंघन में शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान कर रहा है, तो उसे ईमेल: ugcampc@gmail.com के माध्यम से यूजीसी के संज्ञान में लायें ताकि ऐसे संस्थानों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।

(मनिष जोशी)